Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 370 / 2003 / उदयपुर

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– चन्द्रशेखर पुत्र हरिवल्लभ
2– सत्यदेव पुत्र हरिवल्लभ
3– श्रीमती सुमित्रा (मृतक) पत्नी देवकीनन्दन जरिये
विधिक उत्तराधिकारी :–
3/1– श्रीमती कुसुम देवी पुत्री देवकीनन्दन पत्नी प्रदोष शर्मा
3/2– श्रीमती वन्दना देवी पुत्री देवकीनन्दन पत्नी दुर्गाशंकर
3/3– श्रीमती मंजु देवी पुत्री देवकीनन्दन पत्नी रमाकान्त
3/4– श्रीमती मधु देवी पुत्री देवकीनन्दन पत्नी सूर्यदेव
3/5– सुनील कुमार पुत्र देवकीनन्दन
समस्त जाति ब्राहमण, निवासी 20 काली बावडी रोड,
सीमेन्ट गली, उदपुर।
4– श्रीमती पार्वती देवी (मृतक) पुत्री हरिवल्लभ पत्नी चन्द्रदेव जरिये
विधिक उत्तराधिकारी :–
4/1– गोविन्द पुत्र मणिशंकर, निवासी रूपसागर हरि विहार
कालोनी के पास, उदयपुर।
4/2– नारायणलाल पुत्र मणिशंकर, निवासी गौतम विहार कच्ची
बस्ती के पास, रूप सागर, उदयपुर।
4/3– लोकेश पुत्र मणिशंकर, निवासी सेक्टर 7, हिरन मगरी
हाउसिंग कालोनी, पवन मन्दिर के पास, उदयपुर।
4/4– श्रीमती विनिता पुत्री मणिशंकर पत्नी जुगलकिशोर,
निवासी हाउसिंग कोलानी, पवन मंदिर के पास, उदयपुर।
समस्त जाति ब्राहमण निवासी धोली बावडी गूंदिया भैरू, उदयपुर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हंगामीलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री एस. के. शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

अपील डिक्री / टी.ए. / 370 / 2003 / उदयपुर
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम चन्द्रशेखर आदि

दिनांक : 24 अप्रैल, 2018

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–11–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–31/01 शीर्षक नगर विकास प्रन्यास बनाम चन्द्रशेखर आदि को खारिज किया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ता 4 के पिता हरिवल्लभ ने एक दावा संख्या–151/91 अन्तर्गत धारा–88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक हरिवल्लभ बनाम राजस्थान सरकार आदि, न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय, उदयपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील गिर्वा के ग्राम आयड के साबिका खसरा नम्बर–3/2(1.17) 5(5.00) 7(3.06) कुल किता 3 कुल रकबा 10.03 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित थी। इस क्षेत्र में संवत 2042 में बन्दोबस्त हुआ। बन्दोबस्त में वादी की भूमि हाल खसरा नम्बर–72–73–74–92–93–94–96–100–101–102–103–116–118 कुल किता 13 कुल रकबा 1.8650 हेक्टेयर में पैमूद हुआ अर्थात हाल खसरा नम्बर वादी की खातेदारी भूमि 8.12 बीघा भूमि में पैमूद की गयी जबकि वादी की 10.03 बीघा भूमि खातेदारी भूमि थी। इस प्रकार भू प्रबन्ध के दौरान वादी की 1.12 बीघा भूमि कम दर्ज की गयी। वादी के साबिका खसरा नम्बर–5 की 5.00 बीघा भूमि थी। हाल खसरा में साबिका खसरा नम्बर–5 की 3.09 बीघा भूमि दर्ज की गयी है। साबिका खसरा नम्बर–5 के हाल खसरा नम्बर–97(0.3300) 98(0.0050) 99(0.0050) अर्थात 112 बीघा भूमि जो वादी के खाता में दर्ज होनी चाहिये थी। यह भूमि भू प्रबन्ध के दौरान सिवायचक दर्ज कर दी गयी तथा जिला कलेक्टर, उदयपुर के आदेशानुसार इन्तकाल संख्या–162 दिनांक 3–6–1989 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम से स्वीकृत कर दिया गया। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर वादी को उपरोक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–12–1996 के द्वारा दावा को स्वीकार कर डिक्री कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–12–1996 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 / वर्तमान अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील संख्या–81/97 शीर्षक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर बनाम चन्द्रशेखर, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 370 / 2003 / उदयपुर</u>
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम चन्द्रशेखर आदि

के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–11–1997 के द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–12–1996 निरस्त कर प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर ने प्रतिप्रेषित प्रकरण संख्या–4/98 शीर्षक हरिवल्लभ बनाम सरकार को अपने निर्णय दिनांक 30–11–2000 के द्वारा निर्णित करते हुये दावा को आंशिक रूप से स्वीकार कर हाल खसरा नम्बर–97 रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि पर वादी के विधिक उत्तराधिकारियों को खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये तथा खसरा नम्बर–98–99 की भूमि प्रतिवादी संख्या–2 / वर्तमान अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में यथावत रखे जाने का निर्णय पारित किया। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–11–2000 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 / वर्तमान अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील संख्या–31/01 शीर्षक नगर विकास प्रन्यास बनाम चन्द्रशेखर, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–11–2001 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–11–2000 तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर 13–11–2001 से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या–2 / वर्तमान अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दावा संख्या–151/91 इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि साबिका खसरा नम्बर–3/2, 5 व 7 की कुल 10.03 बीघा भुमि के हाल कुल खसरा 13 रकबा 1.8650 पैमूद किया गया है, जो साबिका खसरा में अंकित भूमि से 1.12 बीघा भूमि कम है, परन्तु दावा के साथ ऐसा कोई भी मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित होता हो कि साबिका खसरा नम्बर के वर्तमान खसरा नम्बर यह बने हैं। मिलान क्षेत्रफल के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि साबिका खसरा नम्बर–5 के हाल खसरा नम्बर कौन कौनसे बने तथा कितनी भूमि वादी के नाम से अंकित की गयी है। आधार दस्तावेज के अभाव में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व रिकार्ड के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 370 / 2003 / उदयपुर</u>
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम चन्द्रशेखर आदि

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि अपील निर्धारित समायावधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी है। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 13–11–2001 के विरूद्ध वर्तमान अपील दिनांक 23–1–2003 को प्रस्तुत की गयी है। धारा–228(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 90 दिवस है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई समुचित कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम में अंकित नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट का यह भी तर्क है कि इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि साबिका खसरा नम्बर में वादी के नाम से 10.03 बीघा भूमि बतौर खातेदार अंकित थी। हाल खसरा नम्बर–13 रकबा 1.8650 अर्थात 8.12 बीघा भूमि दर्ज की गयी है, जो साबिका खसरा नम्बर में दर्ज भूमि से 1.12 बीघा भूमि कम है। पत्रावली पर मौजूद मिलान क्षेत्रफल से यह तथ्य साबित है कि खसरा नम्बर–5 मी. से हाल खसरा नम्बर–97, 98 व 99 बने है। खसरा नम्बर–97 की 0.0033 हेक्टेयर भूमि ही वादी को जरिये डिक्री दी गयी है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया गया।

7– दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा दो तनकी बनाई गई। इस प्रकरण को निर्णित करने हेतु तनकी नम्बर–1 महत्वपूर्ण तनकी है :–

> **<u>तनकी नम्बर–1 :–</u>** क्या अराजी नम्बर–97, 98, 99 वादी की खातेदारी है और गलत नामान्तरकरण के प्रतिवादी संख्या–2 के नाम से दर्ज कर दी गयी है।
>
> **–––––वादी**
>
> इस बिन्दू को साबित करने का दायित्व वादी / रेस्पोन्डेन्ट पर था। वादी / रेस्पोन्डेन्ट को साबिका खसरा नम्बर तथा हाल खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर यह साबित करना था कि साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर बनते समय वादी / रेस्पोन्डेन्ट की भूमि को कम दर्ज कर दिया गया है। वादी द्वारा ऐसा कोई भी मिलान क्षेत्रफल नहीं किया गया है। इस मिलान क्षेत्रफल के अभाव में यह साबित नहीं किया जा सकता है कि साबिका खसरा नम्बर–5 से कौन कौनसे खसरा बने हैं तथा साबिका

अपील डिक्री / टी.ए. / 370 / 2003 / उदयपुर
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम चन्द्रशेखर आदि

खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर बनते समय वादी की 5.00 बीघा भूमि के स्थान पर 3.09 बीघा भूमि को दर्ज कर दी गयी तथा शेष भूमि हाल खसरा नम्बर–97–98–99 में अंकित कर दी गयी है। पत्रावली पर मौजूद खसरा नम्बर–5 मीन का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर–5 मी. से हाल खसरा नम्बर–97–98–99 बने हैं। जबकि वादी / रेस्पोन्डेन्ट की भूमि साबिका खसरा नम्बर–5 में थी। वादी / रेस्पोन्डेन्ट को खसरा नम्बर–5 के हाल खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल पेश करना था जो उसके द्वारा नहीं किया गया है। जिसके अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि साबिका खसरा नम्बर–5 से हाल खसरा नम्बर–97–98–99 बने हैं। वर्तमान में यह भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। दावा संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकी नम्बर–1 का निर्णय रिकार्ड के विपरीत पारित किया गया है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकी नम्बर–1 का निर्णय जो पारित किया गया है, को निरस्त किया जाकर वादी / रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

8– जहां तक मियाद का प्रश्न है कि अपीलान्ट एक सार्वजनिक प्रन्यास है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समुचित कारण अंकित करते हुये धारा–5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नहीं दिया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये तथा प्रकरण में अंकित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर विधि शुमार की जाती है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तनकी नम्बर–1 काा निर्णय जब वादी / रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध कर दिया गया है तो यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9– फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–11–2000 तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–11–2001 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

अपील डिक्री / टी.ए. / 370 / 2003 / उदयपुर

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम चन्द्रशेखर आदि